न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

मु. नं.	दायर दिनांक	अ.धा.	निर्णय दिनांक
30 / 2021	15.07.2021	91 एल.आर.एक्ट	27.08.2021

सरकार बनाम केशर पुत्र जयराम जाति कुमावत निवासी मैनपुरा

27.08.2021 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मैनपुरा द्वारा संवत 2078 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौजा ग्राम मैनपुरा पटवार हल्का मैनपुरा के भूमि खसरा नं0 316 रकबा 52.49 है0 किस्म गै0 मु0 चारागाह के 0.20 रकबे पर केशर पुत्र जयराम जाति कुमावत निवासी मैनपुरा ने फसल कास्त(मूंग) कर अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का मैनपुरा के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते तलबी एवं जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमित रकबे के कब्जे के सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं।

रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं अप्रार्थी जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा मौजा ग्राम मैनपुरा पटवार हल्का मैनपुरा के भूमि खसरा नं0 316 रकबा 52.49 है0 किस्म गै0 मु0 चारागाह के 0.20 रकबे पर किया गया अतिक्रमण अवैध होने के कारण अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू0 अ0 नि0 केड को इस अवैध अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर एवं अतिक्रमित रकबे पर खड़ी फसल को राजहक में कुर्क कर निलाम कर फर्द निलामी एवं फर्द बेदखली पेश करने हेतु लिखा जावें।

अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिए जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 0.24 का 50 गुणा तावान की कुल राशि 12/– रू मात्र बतौर शास्ती जुर्माना आरोपित किये जाते हैं। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 27.08.2021को सुनाया गया।

नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी

उप तहसील गुढ़ा गौड़जी